बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

ब्लॉक–सी0, सरदार पटेल भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना–800023

दूरभाष: 0612 2294201, 2294202(फैक्स), ई–मेल: secy-disastermgmt-bih@nic.in

---

पत्रांक–01/प्रा०आ०(COVID-19)–15/2020/ 1837 /आ0प्र0 पटना–23, दिनांक– 12-05-2020

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
बिहार।

विषय :– निजी वाहन से संबंधित पास निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निजी वाहन से संबंधित पास निर्गत करने के संबंध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

अनुरोध है कि तदालोक में आवश्यक कार्रवाई की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

प्रधान सचिव

ज्ञापांक–01/प्रा०आ०(COVID-19)–15/2020/ 1837 /आ0प्र0 पटना–23, दिनांक– 12-05-2020

प्रतिलिपिः–सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक–01/प्रा०आ०(COVID-19)–15/2020/ 1837 /आ0प्र0 पटना–23, दिनांक– 12-05-2020

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार/अपर पुलिस महानिदेशक (विधि–व्यवस्था)/अपर पुलिस महानिदेशक (रेलवे)/सभी पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक–01/प्रा०आ०(COVID-19)–15/2020/ 1837 /आ0प्र0 पटना–23, दिनांक– 12-05-2020

प्रतिलिपिः–सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक–01/प्रा०आ०(COVID-19)–15/2020/ 1837 /आ0प्र0 पटना–23, दिनांक– 12-05-2020

प्रतिलिपिः–सभी नोडल पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

निजी वाहन से संबंधित पास निर्गत करने के संबंध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया।

(क) बिहार राज्य के बाहर फंसे हुऐ बिहार राज्य के विद्यार्थियों/पर्यटकों/अन्य को लाने के लिए उनके परिजनों को संबंधित जिला पदाधिकारी के द्वारा ई–पास सशर्त निर्गत किया जायेगा जिसमें मेडिकल स्क्रनिंग एवं होम क्वारंटिन का स्पश्ट उल्लेख रहेगा।

निजी/भाड़ा वाहन से बिहार आने की अनुमति रहेगी बशर्ते कि इनलोगों के पास संबंधित राज्य के संबंधित प्राधिकृत पदाधिकारियों के द्वारा पास निर्गत किया गया हो तथा पास निर्गत करने वाले पदाधिकारी के द्वारा बिहार राज्य के संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचना भी दी गयी हो। इन मामलो में बिहार राज्य के बाहर से आये भाड़े के वाहनों को भी वापस लौटने की अनुमति रहेगी।

(ख) बिहार राज्य के बाहर फंसे हुऐ प्रवासी मजदूरगण भी उपरोक्त कंडिका–क के आलोक में वाहनों का उपयोग कर सकते है। इन मामलों में सभी जिलों में वाहन कोशांग के समीप पर्याप्त जगह की व्यवस्था की जायेगी जहाँ आ रहे मजदूरों की मेडिकल स्क्रीनिंग होगी एवं उसके पश्चात् प्रखंड क्वारंटिन केन्द्र भेजने के लिए वाहनों की व्यवस्था रहेगी।

(ग) बिहार राज्य के अन्दर लॉकडाउन के पूर्व से फंसे हुऐ लोगो को बिहार के अन्दर गन्तव्य जिले में जाने के लिए अन्तर–जिला पास जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी निर्गत कर सकेगें। निर्गत करने वाले जिला पदाधिकारी को गन्तव्य जिला के जिला पदाधिकारी को सूचित करना अनिवार्य होगा।

(घ) उपरोक्त कंडिका–क एवं ख से आच्छादित हो रहे वाहनो को बिहार राज्य के बोर्डर पर नहीं रोका जायेगा।

(प्रत्यय अमृत)
प्रधान सचिव